भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक 1237/मप्रविनिआ/2023—विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित उसकी धारा 42, धारा 61 तथा धारा 86 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम 2023 (जी—46, वर्ष 2023), जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 में द्वितीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2023" {एजी 46 (ii), वर्ष 2024}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन

2.1 मूल विनियमों के विनियम 9 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु आगे यह और कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा/अनुबंधित मांग की सीमा तक विद्युत की प्राप्ति निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई प्रभारों का भुगतान कर रहा हो तो उस पर अतिरिक्त अधिभार अधिरोपित नहीं किया जाएगा।"

2.2 विनियम 9 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् दो परन्तुक विनियम 9 के तृतीय तथा चतुर्थ परन्तुकों के रूप में अन्तःस्थापित किये जाएं तथा विद्यमान तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम परन्तुक इन परन्तुकों के पश्चात् जारी रखे जाएं तथा तद्नुसार इन्हें क्रमशः पंचम, षष्टम, सप्तम तथा अष्टम परन्तुकों के रूप में पढ़ा जाए, अर्थात्:

"परन्तु आगे यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसकी संविदा/अनुबंधित मांग के अतिरिक्त निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति कर रहा हो तो ऐसे अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि अतिरिक्त अधिभार हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु केवल उसी दशा में लागू होगा जो संबंधित विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता हों या उपभोक्ता रहे हों।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.